

प्रश्न और उत्तर आपकी बेरोजगारी के बारे में बीमा लाभ सुनवाई

यह पुस्तिका आपकी बेरोजगारी बीमा लाभ सुनवाई के बारे में बुनियादी प्रश्नों के उत्तर देती है। इसमें बताया गया है कि आपको सुनवाई के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए और सुनवाई के दौरान आपके क्या अधिकार होंगे।

यदि आप स्पेन में इस फोलेट की एक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेंट्रल टेलिफोनिको डे रेक्लामोस से प्राप्त विज्ञप्ति में डेरेचो एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासनिक कानून न्यायाधीश अनुभाग) के बारे में एक श्रोतागण शामिल हैं।

क्या मैं सुनवाई में देरी कर सकता हूँ?

हाँ। यदि आपके पास उचित कारण हो तो आप सुनवाई को "स्थगित" (विलंबित) कर सकते हैं। आपको ALJ को कारण बताना होगा और ALJ यह निर्णय लेगा कि यह पर्याप्त है या नहीं। अच्छे कारणों के उदाहरण हैं:

1. आपके पास एक आपातकालीन स्थिति है।
2. आप एक वकील चाहते हैं और अभी तक आपको वकील नहीं मिल पाया है।
3. आप अपने वकील से नहीं मिल पाए हैं।
4. आपको सबूत जुटाने के लिए अधिक समय चाहिए।

यदि संभव हो तो, आपको सुनवाई की तिथि से पहले ALJ अनुभाग को लिखकर या फोन करके विलंब के लिए अनुरोध करना चाहिए। यदि ALJ सुनवाई से पहले विलम्ब की अनुमति नहीं देता है, तो आपको अपनी सुनवाई में जाना होगा तथा व्यक्तिगत रूप से विलम्ब का अनुरोध करना होगा। यदि आप स्वयं नहीं जा सकते तो आप अपने प्रतिनिधि को हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण के साथ भेज सकते हैं कि आप क्यों नहीं जा सके। यदि ALJ आपके विलम्ब के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो ALJ सुनवाई आयोजित करेगा।

यदि मैं सुनवाई में शामिल न हो सकूँ तो क्या होगा?

यदि आप सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं, तो ALJ आपके बिना ही सुनवाई कर सकता है और आपके पक्ष पर विचार किए बिना ही आपके मामले पर निर्णय दे सकता है।

यदि आप किसी उचित कारण से सुनवाई में शामिल नहीं हो पाते हैं (जैसे, आपको कोई चिकित्सीय आपातस्थिति थी या आपके पास कोई कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं था), तो आपको अपना केस पुनः खोलने के लिए DOL में आवेदन करना चाहिए, ताकि ALJ आपका पक्ष सुन सके। यदि ALJ को लगता है कि आपके पास उचित कारण था, तो वह इसे पुनः खोल देगा।

यदि आपका पूर्व नियोक्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं होता है तो क्या होगा?

यदि आप सुनवाई का अनुरोध करते हैं, लेकिन आपका पूर्व नियोक्ता इसमें शामिल नहीं होता है, तो ALJ सुनवाई कर सकता है और उनके पक्ष पर विचार किए बिना आपके मामले पर निर्णय दे सकता है। सुनवाई के बाद, आपका पूर्व नियोक्ता मामले को पुनः खोलने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि ALJ को लगता है कि आपके पूर्व नियोक्ता के पास कोई उचित कारण था, तो वह इसे पुनः खोल देगा।

यदि आपका पूर्व नियोक्ता सुनवाई का अनुरोध करता है, लेकिन उसमें शामिल नहीं हो पाता है, तो ALJ स्वतः ही मामले का फैसला आपके पक्ष में कर देगा।

मुझे ALJ का निर्णय कब प्राप्त होगा?

आपको तीन सप्ताह के भीतर निर्णय मिल जाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको DOL या ALJ अनुभाग को फोन करना चाहिए जहां आपकी सुनवाई हुई थी (फोन नंबर सुनवाई के नोटिस पर दिया गया है)।

यदि मैं ALJ के निर्णय से असहमत हूँ तो क्या होगा?

आप ALJ के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अपील एक "उच्च" स्तर पर किया गया औपचारिक अनुरोध है, जिसे अपील बोर्ड कहा जाता है यह समीक्षा करने के लिए कि क्या ALJ का निर्णय सही है। आप अपील का अनुरोध या तो

- 1) अपील बोर्ड को एक पूरा फॉर्म जमा करके कर सकते हैं, या
- 2) DOL को एक पत्र भेजकर यह बताना कि आप निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं। आपका अनुरोध ALJ के निर्णय पर अंकित तिथि से 20 दिनों के भीतर डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।

आपका पूर्व नियोक्ता भी अपील कर सकता है। यदि आप सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, तो आप ALJ के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते, लेकिन आप ALJ से अनुरोध कर सकते हैं कि वह आपका मामला पुनः खोले।

जब किसी निर्णय के विरुद्ध अपील की जाती है तो क्या होता है?

अपील के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद, आप अपील बोर्ड को एक लिखित बयान प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें यह बताया जाएगा कि ALJ का निर्णय गलत क्यों है। एक वकील या कोई अन्य व्यक्ति आपका बयान तैयार करने में आपकी मदद कर सकता है। आपके पूर्व नियोक्ता को भी विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

अपना बयान प्रस्तुत करने से पहले, आपको अपनी सुनवाई की प्रतिलिपि की समीक्षा करनी चाहिए। (प्रतिलिपि सुनवाई में कही गई हर बात का लिखित रिकॉर्ड है।) आप "अपील की प्राप्ति की सूचना" प्राप्त करने के बाद और अपना बयान देने की समय-सीमा से पहले अपील बोर्ड को लिखकर प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपील बोर्ड से पूछना चाहिए कि प्रतिलिपि किस तारीख को तैयार होगी और क्या आप अपना बयान उस तारीख के बीस दिन बाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि अपील बोर्ड को लगता है कि आपकी सुनवाई में कोई समस्या थी, तो वह आपके मामले को दूसरी सुनवाई के लिए ALJ के पास वापस भेज देगा या वह स्वयं सुनवाई करेगा। यदि अपील बोर्ड यह निर्णय लेता है कि ALJ का निर्णय गलत था, तो वह उस निर्णय को पलट देगा।

यदि मैं जीत जाऊँ लेकिन मेरा पूर्व नियोक्ता अपील कर दे तो क्या होगा?

आपका पूर्व नियोक्ता (या DOL) आपके पक्ष में लिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। आप अपील का विरोध करते हुए लिखित बयान प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कोई बयान प्रस्तुत करते हैं, तो आपके पास वैसे ही अधिकार होंगे जैसे कि यदि आप सुनवाई हार गए होते और स्वयं अपील दायर करते। उदाहरण के लिए, आप प्रतिलिपि की समीक्षा कर सकते हैं और/या किसी वकील से परामर्श कर सकते हैं।

यदि अपील बोर्ड आपके पक्ष में निर्णय पलट देता है, तो आपको अपने लाभ वापस करने पड़ सकते हैं।

सुनवाई क्या है?

सुनवाई एक अनौपचारिक परीक्षण है जो यह निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि आप बेरोजगारी बीमा ("UI") लाभ के हकदार हैं या नहीं। इसका संचालन न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग ("DOL") में एक प्रशासनिक विधि न्यायाधीश ("ALJ") द्वारा किया जाता है।

प्रशासनिक विधि न्यायाधीश कौन है?

प्रशासनिक विधि न्यायाधीश, जिसे ALJ भी कहा जाता है, DOL के यू.आई. अपील बोर्ड का कर्मचारी होता है। ALJ को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पक्षों को सुनवाई का, साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा निष्पक्ष निर्णय पाने का उचित अवसर मिले। सुनवाई के बाद, ALJ इस बारे में निर्णय जारी करेगा कि आप UI लाभ के हकदार हैं या नहीं।

सुनवाई क्यों?

आप अपने लाभों को अस्वीकार करने के DOL के निर्णय को चुनौती देने के लिए सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। DOL आपको निर्णय और अस्वीकृति का कारण "निर्णय की सूचना" के माध्यम से मेल द्वारा सूचित करेगा। यदि आप कारण से असहमत हैं, तो आप DOL को पत्र भेजकर सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। आपका अनुरोध निर्धारण नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।

आपका पूर्व नियोक्ता आपके लाभ प्रदान करने के DOL के निर्णय पर आपत्ति करने के लिए सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। यह सुनवाई यह निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है कि क्या आपके पूर्व नियोक्ता की आपत्ति सही है।

सुनवाई में कौन भाग ले सकता है?

- आप और कोई व्यक्ति जो आपका मामला प्रस्तुत करने में आपकी सहायता कर सके। यह व्यक्ति कोई वकील, अधिकृत एजेंट, यूनिनियन प्रतिनिधि या सिर्फ कोई मित्र भी हो सकता है।
- आपके पूर्व नियोक्ता या उनके प्रतिनिधि, जिनमें वकील भी शामिल हो सकते हैं।
- आपको और आपके पूर्व नियोक्ता दोनों को गवाह लाने का अधिकार है।
- DOL अपने निर्णय का बचाव करने के लिए एक प्रतिनिधि भेज सकता है।

क्या मैं सुनवाई से पहले अपनी फाइल की जांच कर सकता हूँ?

हाँ। सुनवाई से पहले किसी भी समय आप अपनी फाइल देखने के लिए ALJ अनुभाग को फोन कर सकते हैं।

मुझे सुनवाई में क्या लाना चाहिए?

आपको DOL के UI प्रभाग से प्राप्त सभी कागजात साथ लाने चाहिए। आपको अपने पक्ष को समर्थन देने वाले कागजात या अन्य साक्ष्य भी साथ लाने चाहिए, जैसे अनुबंध, पत्र, वेतन पर्ची, मध्यस्थता निर्णय, सामूहिक सौदेबाजी समझौते, कर्मचारी पुस्तिका या मैनुअल, डॉक्टर के नोट और फोटोग्राफ।

सुनवाई के दौरान, आपको ALJ से इन कागजातों को रिकॉर्ड में स्वीकार करने के लिए कहना चाहिए। आपके मामले का निर्णय करते समय, ALJ केवल उन कागजातों या अन्य साक्ष्यों पर विचार कर सकता है, जिन्हें सुनवाई के दौरान पहचाना गया हो तथा दूसरे पक्ष को उनकी समीक्षा करने का अवसर दिए जाने के बाद रिकॉर्ड में स्वीकार किया गया हो।

आपका पूर्व नियोक्ता भी ALJ से साक्ष्य स्वीकार करने के लिए कह सकता है और ALJ आपकी फाइल से कागजात को रिकॉर्ड में शामिल कर सकता है। आपके पास किसी भी साक्ष्य की समीक्षा करने का अधिकार है, इससे पहले कि ALJ उसे रिकॉर्ड के लिए स्वीकार कर ले।

सुनवाई में क्या होता है?

सुनवाई शुरू करने के लिए, ALJ पक्षों और सुनवाई में संबोधित किए जाने वाले मुद्दों की पहचान करेगा। इसके बाद ALJ आपसे, आपके पूर्व नियोक्ता से तथा दोनों पक्षों के गवाहों से प्रश्न पूछ सकता है।

ALJ पहले आपके पूर्व नियोक्ता का पक्ष सुन सकता है। सभी गवाही टेप पर रिकॉर्ड की जाएगी और शपथ के तहत ली जाएगी। कोई भी पक्ष कागजात या अन्य भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

आप, आपके पूर्व नियोक्ता, तथा आपके संबंधित वकील या प्रतिनिधि भी किसी गवाह से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे "क्रॉस-एग्जामिनेशन" कहा जाता है। यदि आपको परेशानी हो तो आप ALJ से मदद मांग सकते हैं।

सुनवाई के दौरान, ALJ आपके मामले से संबंधित नए प्रश्नों पर विचार करने का निर्णय ले सकता है, जिनका उल्लेख "निर्धारण की सूचना" या नियोक्ता की आपत्तियों में नहीं किया गया है। यदि नए प्रश्नों पर विचार किया जाता है, तो ALJ के पास उन पर विचार करने का उचित कारण होना चाहिए और उसे आपको स्पष्ट करना होगा। यदि आप किसी नए प्रश्न पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपको तैयारी के लिए अपनी सुनवाई को "स्थगित" (विलंबित) करने का अधिकार है।

सुनवाई के अंत में, आप और आपके पूर्व नियोक्ता दोनों अपने तर्कों का सारांश देते हुए समापन वक्तव्य दे सकते हैं।

क्या मैं गवाह ला सकता हूँ?

हाँ। आप सुनवाई में किसी भी व्यक्ति को ला सकते हैं जो ALJ को आपकी स्थिति का समर्थन करने वाली जानकारी दे सकता है। आपके पूर्व नियोक्ता भी गवाह ला सकते हैं। आप, आपके पूर्व नियोक्ता और ALJ सभी गवाहों से पूछताछ कर सकेंगे।

यदि मुझे आवश्यक साक्ष्य या गवाह नहीं मिले तो क्या होगा?

यदि आपको किसी दस्तावेज या अन्य साक्ष्य की आवश्यकता है, जो आपके मामले को साबित करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन आप उसे उस व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते जिसके पास वह है, तो ALJ आपकी मदद कर सकता है। ALJ उस व्यक्ति को, जिसके पास सबूत हैं, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए मजबूर कर सकता है, एक कागज़ जारी करके जिसे 'सम्मन' (Subpoena - सपीना) कहा जाता है। आप ALJ से सम्मन जारी करने के लिए कह सकते हैं और यदि वे आपके अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं, तो ALJ सुनवाई में विलंब कर देगा ताकि सम्मन दिया जा सके।

इसी प्रकार, यदि आप चाहते हैं कि कोई महत्वपूर्ण गवाह आपकी सुनवाई में आए, लेकिन वह गवाह मना कर दे, तो आप ALJ से अनुरोध कर सकते हैं कि वह सम्मन जारी करके गवाह को उपस्थित होने के लिए बाध्य करें। इससे पुनः सुनवाई में देरी होगी।

यदि आपको कोई कागज़ या गवाह प्राप्त करने के लिए ALJ की सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इसे प्राप्त करने के लिए समय चाहिए, तो आप ALJ से अधिक समय मांग सकते हैं। ALJ आपको अधिक समय तभी देगा जब आपके पास अनुरोध करने का कोई उचित कारण होगा।

यदि आपके पास कोई गवाह है जो गवाही देने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी कारण से सुनवाई में नहीं आ सकता है, तो आप ALJ से अनुरोध कर सकते हैं कि वह गवाह को टेलीफोन पर गवाही देने की अनुमति दे।

आपके पूर्व नियोक्ता और DOL को साक्ष्य या गवाह प्राप्त करने के समान अधिकार हैं।

क्या मैं अपनी मदद के लिए कोई वकील या कोई अन्य व्यक्ति साथ ला सकता हूँ?

हाँ। आप सुनवाई में मदद के लिए किसी वकील या किसी अन्य व्यक्ति को साथ ला सकते हैं। यदि आप वकील रखने में असमर्थ हैं, तो आप अपने स्थानीय कानूनी सहायता सोसायटी या कानूनी सेवा कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क वकील प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक वकील या पंजीकृत एजेंट ही आपकी मदद के लिए शुल्क ले सकता है (और वह भी तभी जब आप जीत जाएं)। कोई भी आपकी मदद कर सकता है, जो कोई शुल्क नहीं लेता। आपका पूर्व नियोक्ता भी एक वकील या एजेंट ला सकता है।